



प्रेस नोट- थाना कांट

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक – 02.08.2026

थाना कांट पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील एवं चिन्हित अपराधियों, वांछित/वारंटी अभियुक्तों तथा अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, अवैध मादक पदार्थ, शराब एवं शस्त्रों के निर्माण/बिक्री की रोकथाम तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु संचालित विशेष अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कांट के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2026 को वादी श्री चन्द्रपाल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम प्रहलादपुर कमलनैनपुर, कस्बा व थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कांट पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि विपक्षीगण 1. समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मोहल्ला गढ़ी पूर्वी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर तथा उसके अन्य 03 साथियों द्वारा वादी के पुत्र गौतम पर जान से मारने की नीयत से एक राय होकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार हेतु जिला अस्पताल शाहजहाँपुर ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कांट पर मु०अ०सं० 367/2026, धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम 1. समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मोहल्ला गढ़ी पूर्वी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर एवं उसके अन्य 03 साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. लियाकत अली पुत्र खुशी मोहम्मद, 2. तदीम पुत्र लियाकत अली तथा 3. राजा पुत्र मोहम्मद सलीम निवासीगण मोहल्ला गढ़ी पूर्वी, कस्बा व थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर के नाम प्रकाश में आए। आज दिनांक 02.08.2026 को थाना कांट पुलिस टीम कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर समय करीब 15:10 बजे उपरोक्त तीनों वांछित अभियुक्तों को ददरौल की ओर जाने वाले मार्ग पर शीशम एवं जामुन के पेड़ों के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. लियाकत अली पुत्र खुशी मोहम्मद निवासी मो0 गढ़ी पूर्वी कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 40 वर्ष)
2. तदीम पुत्र लियाकत अली निवासी मो0 गढ़ी पूर्वी कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 19 वर्ष)
3. राजा पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी मो0 गढ़ी पूर्वी कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 22 वर्ष)

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 02.08.2026 समय 15.10 बजे, ददरौल की ओर जाने वाली सड़क के किनारे खड़े शीशम और जामुन के पेड़ों के नीचे, थाना कांट।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 367/2026, धारा 103(1)/3(5) थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ अभियुक्त –

अभियुक्तगणों ने संयुक्त रूप से पूछताछ करने पर बताया कि मृतक गौतम पुत्र चन्द्रपाल, समीर पुत्र लियाकत अली से काफी समय से दुश्मनी मान रहा था। वह हमारे परिवार के नसीम की पुत्री कासफी पर गलत निगाह रखे हुए था कई बार समीर ने समझाने का प्रयास किया तो गौतम मान नहीं रहा था। जिससे हमारे काफी बदनामी हो रही थी। गौतम कासफी के साथ स्टेटस पर स्टोरी भी लगाता था। समझाने के बाद जब गौतम नहीं माना तो हम लोगों ने उसे जान से मारने का प्लान तैयार किया। प्लान के तहत समीर ने कांट से चाकू खरीदा था और गौतम को मारने के लिए हम चारों लोगों ने योजना बनाई। गौतम को बातों में फसाकर लाने के लिए समीर को भेजा समीर, गौतम को नहर कोठी से लेकर आया। मैं और मेरा पुत्र तदीम व भतीजा राजा एक मोटर साईकिल पर पहले से ही दिलावरपुर नहर के पास खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। जब समीर, गौतम को लेकर आया तो पास आने पर हमने मोटर साईकिल को रुकवाया जैसे ही गौतम ने मोटर साईकिल को रोका तो मोटर साईकिल पर ही मैंने गौतम का एक हाथ पकड़ा दूसरा हाथ राजा ने पकड़ा तथा तदीम ने मोटर साईकिल को गिरने से रोकने के लिए पकड़ा पीछे से समीर ने चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से गोद डाला। गौतम चिल्लाया तो गांव से शोर हुआ तो हम लोग गौतम को मरणासन स्थिति में छोड़ कर मोटर साईकिल से मैं राजा और मेरे पुत्र तदीम चले आये और समीर को वहीं छोड़ आये और उससे कहा कि तू यह कहना कि गौतम को मैंने मारा है जिससे लोग भ्रमित हो जायेंगे और केवल तेरे खिलाफ कार्यवाही होगी और हम लोग जल्दी तेरी जमानत करा लेंगे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2123 राजेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1778 अंकित कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
5. रि0का0 मुलेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
6. रि0का0 रक्षक तोमर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर